फा. सं. 11-18/2/2021 पीएलआईएस-भाग (I)
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग,
नई दिल्ली-110049
*****

दिनांकः 7 जून, 2021

विषयः "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (पीएलआईएसएफपीआई) हेतु उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम" के दिशानिर्देश - मोटे अनाज आधारित रेडी टु कुक/रेडी टु ईट उत्पाद में बाजरे की मात्रा की विनिर्दिष्टियों के संबंध में।

भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए वर्ष 2021-22 से 2026-27 के दौरान 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम के कार्यान्वयन को अनुमोदित किया है। इस योजना का उद्देश्य वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के सृजन, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांड्स को समर्थन करना, कृषि से मिलने वाली नौकरियों के लिए रोजगार के अवसर को प्रोत्साहन देना, कृषि उपज के लाभकारी मूल्य और किसानों को उच्च आय सुनिश्चित करना है।

2. योजना दिशानिर्देश दिनांक 02.05.2021 को जारी किए गए थे और योजना के अंतर्गत स्वीकार्य प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन पोर्टलः https://plimofpi.ifciltd.com के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 17.06.2021 अपराह्न 5:00 तक है। योजना दिशानिर्देश और अन्य संगत परिपत्र www.mofpi.nic.in पर देखे जा सकते हैं।

3. उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार मंत्रालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम मोटे अनाज प्रतिशत वाले बाजरा खाद्य उत्पाद (फ्लोर/ आटे को छोड़कर) रेडी टु कुक/रेडी टु ईट (आरटीसी/आरटीई) योजना के अंतर्गत कवर किए जाने के लिए पात्र हैं। अब इस योजना के अंतर्गत अनुमत विभिन्न आरटीसी/आरटीई खाद्य उत्पादों में बाजरा के निम्नलिखित स्तरों को निर्दिष्ट करने का निर्णय लिया गया हैः

क्र.सं.	खाद्य श्रेणी	मोटे अनाज का प्रकार	विशिष्ट मोटे अनाज के साथ न्यूनतम निगमन
1	पास्ता, नूडल, स्पैगेटी	रागी, बाजरा, कंगनी, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, ज्वार	10%
2	ब्रेकफास्ट सिरियल्स	रागी, बाजरा, कंगनी, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, सावा चावल, ज्वार	25%
3	अन्य आरटीसी/ आरटीई उत्पाद		20%

सु वर्मा

(एस. के. वर्मा)
निदेशक
दूरभाषः 011-26406567
ईमेलः sk.verma@nic.in
Plis-fpi@mofpi.gov.in

सेवा में,

मैसर्स आईएफसीआई लिमिटेड (परियोजना प्रबंधन एजेंसी)- आवेदकों के बीच व्यापक प्रचार करने और सभी संबंधितों की सूचना हेतु वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

प्रतिः

1. माननीय मंत्री, (खा.प्र.उ.) के निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, (खा.प्र.उ.) के निजी सचिव
2. सचिव, (खा.प्र.उ.) के प्रधान स्टाफ अधिकारी
3. अपर सचिव, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार/संयुक्त सचिव (आरपी)/संयुक्त सचिव (एमए)/आर्थिक सलाहकार/संयुक्त सचिव (एके)/ संयुक्त सचिव (एएस) के प्रधान निजी सचिव/निजी सचिव
4. वरिष्ठ परामर्शदाता (जीबी), खा.प्र.उ.मं.
5. निदेशक, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, तंजावूर-613005
6. खा.प्र.उ.मं. के सभी निदेशक/उप सचिव
7. निदेशक, एनआईसी (खा.प्र.उ.मं.) -सभी संबंधितों के व्यापक प्रसार हेतु यह परिपत्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ

सु वर्मा

(एस. के. वर्मा)
निदेशक